(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

GST Matter/Most Immediate

RBA No. 50/2021
GST Circular No. 26/2021

No. 2016/AC-II/1/6/Main (Pt. III) 8th September2021

General Managers,
All Zonal Railway/Production Units

Sub: Directives for compliances to be undertaken prior to filing of returns for tax period of September2021

It may be recalled that, as per the provisions of GST Act and rules made thereunder,certain activities/compliances in respect of a Financial Year (FY) need to be strictly adhered to before or at the time of filing of returns for tax period of September following the end of such year.. Thus, in respect of FY 2020-21, below mentioned activities/compliances shall be adhered to by the respective Zones/Units before filing of GST returns (i.e. FORM GSTR-1 and FORM GSTR-3B) for tax period of September 2021:

1. **Availment of pending Input Tax Credit (ITC)**

All the invoices and debit notes for inward supplies pertaining to FY 2020-21 on which ITC has not been availed i.e. bills dated FY 2020-21 which are yet to be booked in IPAS or any other application group, shall be checked and uploaded so as to ensure that eligible ITC in respect of such invoices is availed in FORM GSTR-3B latest for the month of September 2021. It shall be subject to fulfilment of other prescribed conditions as prescribed under the GST Law.

2. **Reconciliation of ITC with FORM GSTR-2A/GSTR-2B**

To reiterate, eligible ITC in respect of inward supplies shall be claimed post undertaking reconciliation with FORM GSTR-2A/GSTR-2B.Further, ITC in respect of inward supplies pertaining to FY 2020-21 shall be reconciled with FORM GTR-2A/GSTR2B and

Contd — 2 —

thereafter be availed latest by filing of FORM GSTR-3B of September 2021 and subject to fulfillment of other notified conditions.

3. **Furnishing of pending details of documents issued pertaining to outward supplies**

GST Credit Notes

Any cancelled ticket, railway receipt or any other document against which refund has been issued during F.Y. 2020-21on the basis of GST Credit Note and are pending to be reported in respective GST Returns (FORM GSTR-1 and/or FORM GSTR-3B) till date, must be reported by respective Zones/Units under FORM GSTR-1 and FORM GSTR-3B before the month of September 2021. This needs to be effected in order to ensure adjustment of respective GST liability.

Invoices,Revised Tax Invoices and Debit Notes

Any invoices, revised invoices and debit notes with respect tooutward supplies effectuated during FY 2020-21 but the details of which have not yet been reported in returns under FORM GSTR-1 and/or FORM GSTR-3B till date, the same shall be reported by respective Zones/Units under FORM GSTR-1 and FORM GSTR-3B on or before the tax period of September 2021. Also, in case tax liabilities have not been discharged with respect to such documents in FORM GSTR-3B, interest implication may arise at the rate of 18 % per annum.

4. **Amendment to documents issued pertaining to outward supplies**

Any correction required in respect of any document issued such as invoices, debit notes, credit notes etc. in respect of supplies effectuated during FY 2020-21 shall be undertaken under FORM GSTR-1 and/or FORM GSTR-3B, as the case may be, at the time of filing of such returns before the month of September 2021. Any adjustment to GST liability may accordingly be done along with payment of interest at 18% p.a. (in case of short reporting), wherever applicable.

5. **Finalization of ITC reversed on monthly basis in respect of exempted supplies**

ITC attributable to supply of exempted goods or services, which have been reversed on a monthly basis during F.Y. 2020-21shall be finalized latest by 30th September 2021.

If the amount reversed on monthly basis is in excess of the finally calculated amount, the excess reversed credit shall be claimed before filing of return for tax period of September 2021.However, if the amount reversed on monthly basis is short of the amount finally calculated, the difference in amount shall be reversed under FORM GSTR- 3B or through FORM GST DRC-03 for tax period of September2021 and such differential amount shall be paid with interest @ 18% p.a. for the period beginning from 1stApril,2021 till date of payment.

Contd —3...

All the Railways/ Units may take necessary action accordingly, within the stipulated timelines in consultation with their GST consultants and ensure aforementioned compliances .

(Sanjeev Sharma)
OSD/Accounts
Railway Board

Copy to:-

1. PFAs, All Zonal Railways and Production Units
2. All EDs, ED level empowered Committee, Railway Board
3. All Directors of GST Cell, Railway Board
4. MD, CRIS, Chanakyapuri New Delhi
5. GM/F/GSTM and GM/AIMS

भारत सरकार/Government of India

रेल मंत्रालय/Ministry of Railways

रेलवे बोर्ड/Railway Board

जीएसटी मामला/अति तत्काल

आरबीए सं. 50/2021

जीएसटी परिपत्र सं. 26/2021

सं. 2016/एसी-II/1/6/मेन(पार्ट III) 8 सितंबर, 2021

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

<u>विषय : सितंबर 2021 की कर अवधि के लिए रिटर्न भरने से पहले किए जाने वाले अनुपालनों के लिए निदेश।</u>

यह ध्यान दिया जाए कि, जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, एक वित्त वर्ष के संबंध में ऐसे वर्ष के अंत के बाद सितंबर की कर अवधि के लिए रिटर्न भरने से पहले या उस समय कुछ गतिविधियों/अनुपालनाओं का सख्ती से पालन किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2020-21 के संबंध में, सितंबर 2021 की कर अवधि के लिए जीएसटी रिटर्न भरने से पहले (अर्थात् फॉर्म जीएसटीआर-1 और फॉर्म जीएसटीआर-3बी) संबंधित क्षेत्रीय रेलें/इकाइयों द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों/अनुपालनाओं का पालन किया जाए :

1. <u>लंबित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की प्राप्ति</u>

 वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित आवक आपूर्तियों के लिए सभी बीजकों और डेबिट नोटों, जिन पर आईटीसी प्राप्त नहीं की गई है अर्थात् वित्त वर्ष 2020-21 की तारीख वाले बिलों जिन्हें आईपीएएस या अन्य किसी एप्लीकेशन समूह में अभी बुक किया जाना है, की जांच की जाए और अपलोड कराया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सितंबर 2021 माह तक के लिए ऐसे बीजकों के संबंध में फॉर्म जीएसटीआर-3बी में उपयुक्त आईटीसी प्राप्त की गई है। यह निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होगा जैसा कि जीएसटी अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।

2. <u>फॉर्म जीएसटीआर-2/फॉर्म जीएसटीआर-2बी के साथ आईटीसी का मिलान</u>

यह दोहराते हुए, आवक आपूर्तियों के संबंध में उपयुक्त आईटीसी का फॉर्म जीएसटीआर-2ए/फॉर्म जीएसटीआर-2बी के साथ मिलान करने के बाद दावा किया जाए। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2020-21 संबंधी आवक आपूर्तियों के संबंध में आईटीसी का फॉर्म जीएसटीआर-2ए/फॉर्म जीएसटीआर-2बी के साथ मिलान किया जाए और उसके बाद सितंबर 2021 का फॉर्म जीएसटीआर-3बी भरकर तथा अन्य अधिसूचित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन प्राप्त किया जाए।

3. <u>जावक आपूर्तियों के संबंध में जारी दस्तावेज़ों के लंबित ब्यौरे प्रस्तुत करना</u>

<u>जीएसटी क्रेडिट नोट</u>

कोई रद्द टिकट, रेलवे रसीद या अन्य दस्तावेज़, जिसके लिए जीएसटी क्रेडिट नोट के आधार पर वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान रिफंड जारी किया गया है और अब तक संबंधित जीएसटी रिटर्नों (फॉर्म जीएसटीआर-1 और/या फॉर्म जीएसटीआर-3बी) में रिपोर्ट किए जाने के लिए लंबित हैं, को फॉर्म जीएसटीआर-1 और फॉर्म जीएसटीआर-3बी के अंतर्गत संबंधित क्षेत्रों/इकाइयों द्वारा सितंबर 2021 से पहले रिपोर्ट कर दिया जाए। इसे संबंधित जीएसटी देयता का समायोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी होने की आवश्यकता है।

<u>बीजक, संशोधित कर बीजक और डेबिट नोट</u>

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जावक आपूर्तियों के संबंध में कार्यान्वित कोई भी बीजक, संशोधित बीजक और डेबिट नोट लेकिन जिनके ब्यौरे अब तक फॉर्म जीएसटीआर-1 और/या फॉर्म जीएसटीआर-3बी के अंतर्गत रिटर्नों में रिपोर्ट नहीं किए गए हैं, उक्त को संबंधित क्षेत्रों/इकाइयों द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 और फॉर्म जीएसटीआर-3बी के अंतर्गत सितंबर 2021 की कर अवधि तक या उससे पहले रिपोर्ट कर दिया जाए। साथ ही, यदि फॉर्म जीएसटीआर-3बी में ऐसे दस्तावेज़ों के संबंध में कर देयताओं का निर्वहन न किया गया हो तो 18% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज़ लग सकता है।

4. <u>जावक आपूर्तियों के संबंध में जारी दस्तावेज़ों में संशोधन</u>

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कार्यान्वित आपूर्तियों के संबंध में, बीजकों, डेबिट नोटों, क्रेडिट नोटों आदि जैसे जारी किसी दस्तावेज़ के संबंध में अपेक्षित कोई भी शुद्धि फॉर्म जीएसटीआर-1 और/या फॉर्म जीएसटीआर-3बी, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत सितंबर 2021 माह से पहले ऐसे रिटर्न भरने के समय की जाए। तदनुसार जीएसटी देयता में कोई भी समायोजन,

जहां भी लागू हो, 18% प्रतिवर्ष ब्याज़ के भुगतान (कम रिपोर्ट किए जाने के मामले में) के साथ किया जाए।

5. <u>छूट प्राप्त आपूर्तियों के संबंध में मासिक आधार पर लौटाई गई आईटीसी को अंतिम रूप देना</u>

छूट प्राप्त माल या सेवाओं की आपूर्ति पर आरोप्य आईटीसी, जिसे वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मासिक आधार पर लौटा दिया गया है, उसे 30 सितंबर 2021 तक अंतिम रूप दे दिया जाए।

यदि मासिक आधार पर लौटाई गई राशि अंततः परिकलित की गई राशि से अधिक है, तो अतिरिक्त लौटाए गए क्रेडिट का सितंबर 2021 की कर अवधि के लिए रिटर्न भरने से पहले दावा किया जाए। बहरहाल, यदि मासिक आधार पर लौटाई गई राशि अंततः परिकलित की गई राशि से कम है, तो राशि में अंतर को सितंबर 2021 की कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी या फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से लौटा दिया जाए और राशि के ऐसे अंतर को 1 अप्रैल, 2021 से प्रारंभ होने वाली अवधि से लेकर भुगतान की तारीख तक 18% प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज़ के साथ भुगतान किया जाए।

तदनुसार, सभी रेलें/इकाइयां जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श से निर्धारित समय के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें और ऊपर उल्लिखित अनुपालनाएं सुनिश्चित करें।

(संजीव शर्मा)
विशेष कार्य अधिकारी/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।
2. सभी कार्यपालक निदेशक, कार्यपालक स्तर की सशक्त समिति, रेलवे बोर्ड।
3. जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड के सभी निदेशक।
4. प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी नई दिल्ली।
5. महाप्रबंधक/जीएसटीएम और महाप्रबंधक/एआईएमएस।